

चेक लिस्ट कं० - 34

वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का
अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

(स्टायलो मंडावी)

वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल

रायगढ़



(82)

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़(छ.ग.)

क्रमांक / 166 / स.अ.भू.अ. / 2022
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 15/02/2022

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रायगढ़
जिला-रायगढ़(छ.ग.)

विषय :- मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड ग्राम-तराईमाल, तहसील/ब्लाक-तमनार, जिला रायगढ़ द्वारा देवनमुण्डा नाला से प्लांट को पानी सप्लाई हेतु लगभग 1 कि.मी. भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल 0.144 हे. वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 (वन अधिकार नियम 2006) के तहत (FRA) अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का पत्र क्रमांक/बीएसएसपीएल/एडमिन एफसी/2021/04 दिनांक 29.12.2021।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में मेसर्स बी. एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड ग्राम-तराईमाल, तहसील/ब्लाक-तमनार, जिला रायगढ़ द्वारा देवनमुण्डा नाला से प्लांट को पानी सप्लाई हेतु लगभग 1 कि.मी. भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल 0.144 हे. वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित किया जाना है। उक्त 0.144 हे. वनभूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव जो कि रायगढ़ वनमण्डल के तमनार परिक्षेत्र कक्ष क्रमांक 833 एवं 835 आरक्षित वन में है को गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिये वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित प्रारूप प्रदर्श 'स' एवं लिनियर प्रकरण हेतु फार्म-1 में जानकारी चाही गई है। उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड ग्राम-तराईमाल, तहसील/ब्लाक-तमनार, जिला रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.144 हे. वनभूमि के लिये प्रदर्श 'स' तथा लिनियर प्रकरण हेतु प्रारूप फार्म-1 में जानकारी संलग्न कर सादर संप्रेषित है।


कलेक्टर

रायगढ़ (छ0ग0)

पृ. क्रमांक / 166 / स.अ.भू.अ. / 2022
प्रतिलिपि:-

रायगढ़ दिनांक 15/02/2022

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध-व.स.अ.) अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ।
2. मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड ग्राम-तराईमाल, तहसील/ ब्लाक-तमनार, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ।


कलेक्टर
रायगढ़ (छ0ग0)



83

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

मेसर्स बी.एस.स्पंज प्राईवेट लिमिटेड ग्राम तराईमाल ब्लॉक तमनार जिला रायगढ़ द्वारा देवनमुण्डा नाला ग्राम जमडबरी से प्लांट को पानी सप्लाई हेतु लगभग 1 कि.मी. भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु कुल 0.144 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन :-

1- प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वनभूमि रकबा 0.144 हे. जो क्षेत्र कक्ष क्रमांक 833 एवं 835 आरक्षित वन की इस कार्य हेतु व्यपवर्तित कि जानी है। तथा ग्राम जमडबरी तहसील तमनार में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण कि गई है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र क्रमांक/11-9/98-एफ.सी. (पी.टी.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05.02.2013 के द्वारा जहां विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.सी.) एवं कृषि पूर्ण समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हो वहां सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, ऑप्टिकल फाइबर बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन (रैखिक व्यपवर्तन) के लिये ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

2-यह प्रमाणित किया जाता है कि (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है

क.	ग्राम का नाम	तहसील	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे० में)
1	जमडबरी	तमनार	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वनभूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

4. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

L
कलेक्टर
एवं

अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

FORM-1
(for linear project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Raigarh

No 466.....

Date 15/02/12

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that Comp. no. 833 & 835 R F in 0.144 hectares of forest land end. 0.144 hector (total area) forest land proposed to be diverted in favour of M/S B.S. Sponge Pvt. Ltd. Vill. Taraimal The. Tamnar Dist. Raigarh C.G. for the work of Underground pipe line (1 k.m.), given application to Divisional Level Van Adikar committee.

It is further certified that :-

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire of forest Revenue area **Comp. no. 833 & 835 R F in 0.144 hectares, (1 k.m.)**, proposed for diversion. A copy of records of all consolation and meeting of the Forest Rights committee (S) Gram Sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District Level committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the consent of Gram sabha's have been exempted for linear project vide latter no. F. no. 11-9/98-FC (pt) of Government of India, ministry of Environment and forest's (FC Division) Dated 5th February 2013.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

(BHIM SINGH)
District Collector Raigarh

अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति घरघोडा जिला रायगढ़

// बैठक की कार्यवाही विवरण //

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006-07 तथा संसोधित नियम 2012 के तहत ग्राम - जमडबरी तहसील तमनार वन भूमि कक्ष क्रमांक 833 एवं 835 कुल कक्ष क्रमांक 02 में से कुल रकबा 0.144 हे० वन भूमि में मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा०लि० तराईमाल तहसील तमनार जिला रायगढ़ छ.ग. द्वारा देवनमुण्डा नाला ग्राम जमडबरी से प्लांट को पानी सप्लाई हेतु लगभग 1 कि.मी. भूमिगत पाईपलाईन बिछाने हेतु अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति घरघोडा जिला रायगढ़ को अनुशंसा हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार -

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा०लि० तराईमाल तहसील तमनार जिला रायगढ़ छ.ग. द्वारा देवनमुण्डा नाला ग्राम जमडबरी से प्लांट को पानी सप्लाई हेतु लगभग 1 कि.मी. भूमिगत पाईपलाईन बिछाने हेतु	प्रभावित वन अधिकारधारक का नाम	प्रभावित रकबा
1	जमडबरी	तमनार	कक्ष क्रमांक 833 एवं 835	निरंक	निरंक
			रकबा 0.144 हे.	निरंक	निरंक
			मद आरक्षित वन	निरंक	निरंक
	योग		02		
			0.144 हे.		

प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु आज दिनांक 31.01.2022 को अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि प्रस्तावित भूमि में वन अधिनियम के तहत व्यक्तिगत हक एवं सामुदायिक हक पत्र किसी को प्रदाय नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा०लि० तराईमाल तहसील तमनार जिला रायगढ़ छ.ग. द्वारा देवनमुण्डा नाला ग्राम जमडबरी से प्लांट को पानी सप्लाई हेतु लगभग 1 कि.मी. भूमिगत पाईपलाईन बिछाने हेतु अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति घरघोडा (रायगढ़) द्वारा अनुशंसा कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति रायगढ़ को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुविभागीय अधिकारी(रा०)
अध्यक्ष अनुभाग स्तरीय
वन अधिकार समिति घरघोडा (रायगढ़)

अनुविभागीय अधिकारी (वन)
सदस्य अनुभाग स्तरीय
वन अधिकार समिति घरघोडा (रायगढ़)

मु०का०३०
ज०प० घरघोडा
सदस्य अनुविभाग स्तरीय
वन समिति घरघोडा (रायगढ़)

मु०का०३०
ज०प० तमनार
सदस्य अनुविभाग स्तरीय
वन समिति घरघोडा (रायगढ़)

अशोक राठिया
सदस्य ज.पं. घरघोडा
सदस्य अनुविभाग स्तरीय
वन समिति घरघोडा (रायगढ़)

सम्पति सिदार
सदस्य ज.पं. तमनार
सदस्य अनुविभाग स्तरीय
वन समिति घरघोडा (रायगढ़)

तिलमति सिदार
सदस्य ज.पं. तमनार
सदस्य अनुविभाग स्तरीय
वन समिति घरघोडा (रायगढ़)

-:: प्रमाण पत्र ::-

मेसर्स बी.एस.स्पंज प्रा० लिमिटेड ग्राम तराईमाल तहसील/ब्लाक तमनार जिला रायगढ़ द्वारा देवनमुण्डा नाला ग्राम जमडबरी से प्लांट को पानी सप्लाई हेतु लगभग एक कि.मी. भूमिगत पाईपलाईन बिछाने हेतु कुल 0.144 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है। प्रस्तावित वन भूमि 0.144 हे. जो क्षेत्र कक्ष क्रमांक 833 एवं 835 आरक्षित वन की इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम जमडबरी तहसील तमनार में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है। सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र क्रं./11-9/98-एफ.सी.(पी.टी.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05/02/2013 के द्वारा जहाँ विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.सी.) एवं कृषि पूर्ण समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हो वहाँ सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, ऑप्टिकल फाइबर, बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन (स्थायिक व्यपवर्तन) के लिए सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्ताव अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 03 (1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
		निरंक	निरंक
1	जमडबरी		

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3(1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

4. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सूविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कलेक्टर

एवं

अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति
जिला रायगढ़
(सील)

प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।